उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 327/XXIII/2012/01(36)/2011
देहरादून 25 अप्रैल, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

यह नियम दिनांक 16 मई, 2012 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक प्रभावी रहेंगे।

1. **मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :–**

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से कुल प्राप्त राजस्व (वर्ष 2011–12 में निर्धारित राजस्व + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस + 20 प्रतिशत अभिकर मुक्त उठान से अधिक अतिरिक्त उठान पर देय एम0जी0डी0 व लाईसेंस फीस) में दुकानवार निम्नानुसार वृद्धि करके दुकान का राजस्व निर्धारित किया जायेगाः–

क्र0सं0	वर्ष 2011–12 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वृद्धि प्रतिशत में
1	जिन दुकानों पर शून्य से 01 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	05 प्रतिशत
2	जिन दुकानों पर 02 से 05 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	10 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 06 से 10 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	13 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 11 से 15 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	16 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 15 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	19 प्रतिशत

2. **मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–**

वर्ष 2012–13 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर–1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू0 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2012 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

3. **मदिरा के 20 प्रतिशत अतिरिक्त फ्री एवं उससे अधिक उठान पर देय लाईसेंस फीस :–**

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाईसेंस फीस देय होगी :–

देशी मदिरा..................................रू0 20/– प्रति बल्क लीटर ।

विदेशी मदिरा..............................रू0 30/– प्रति बोतल।

4. **मदिरा दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–**

उपरोक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर–2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायेगा। निकासी हेतु वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित

न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

5. **मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) से 20% अतिरिक्त उठान :–**

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के 20 (बीस प्रतिशत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा,

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर–3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

6. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–**

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्ररूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। आवंटन की समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 15,000/– की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा

राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्ररूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे । जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य मे एक आवेदक को एक से अधिक देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित नही की जायेंगी। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये जिले के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2012–13 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा

6 **(i) प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापन**

प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व मसूरी में Mild Drink के प्रोत्साहन हेतु उक्त स्थानों में से प्रत्येक में एक–एक दुकानों का सृजन व उनका लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन किया जाना भी प्रस्तावित है। इन दुकानों पर 8% तक तीव्रता की बीयर

की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमन्य होगी। दुकानों का राजस्व वर्ष 2011–12 में सम्बन्धित जनपद में विदेशी मदिरा दुकानों के प्राप्त राजस्व का 0.25 % रहेगा।

पात्रता:– आवेदक सम्बन्धित तहसील का निवासी व उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो। आबकारी राजस्व का बकायेदार व सजायाफ्ता न हो व उसका चरित्र अच्छा हो तथा उसके पास दुकान संचालित करने का आबकारी नियमों के अनुरूप स्थान उपलब्ध हो। तहसील का निवासी कोई आवेदक उपलब्ध न होने पर जनपद के निवासी को दुकान आवंटित की जायेगी।

हैसियत प्रमाण पत्र:– सफल आवेदक को चयन के एक सप्ताह के भीतर दुकान के अनुज्ञापन शुल्क के 25 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य धनराशि का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रारूप G-39 पर प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दुकान के वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क का जमा कराया जाना:– दुकान के निर्धारित वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क का 12वें भाग के बराबर माह की 5वीं तारीख तक जमा करना होगा।

प्रतिभूति की धनराशि व अग्रिम जमा राजस्व– दुकान हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क के 1/3 भाग के समतुल्य प्रतिभूति की धनराशि में से आधी नकद व आधी बैंक गारन्टी के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति की नकद जमा धनराशि का माह के अंत में समायोजन हो सकेगा।

दुकान का व्यवस्थापन:– दुकान हेतु यदि एक व्यक्ति का आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो आवेदक द्वारा शर्तें पूर्ण करने पर दुकान उसे आबंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दुकान का व्यवस्थापन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

आवेदन शुल्क:–आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 15000 आवेदन शुल्क के रूप में आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा जो वापस देय नहीं होगा।

7. मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि :–

राज्य में दुकानों के खुलने का समय 10.00 बजे प्रातः से रात्रि 10.00 तक रहेगा।

परन्तु जनपद, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें जो दूसरे राज्यों की सीमा से 10 किलोमीटर के अन्दर अवस्थित हो, के बन्द होने का समय रात्रि 11:00 बजे रखा जायेगा।

8. विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याज:–

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

9. **अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन :–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ मे अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों मे अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

10. **विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था:–**

प्रत्येक जिले में अधिकतम् राजस्व वाली विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तो के अधीन एफ0एल0–5डी लाईसेंसी द्वारा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु एफ0एल0–5ई लाईसेंस लेना होगा। एफ0एल0–5ई की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 2 (दो) प्रतिशत के बराबर होगी।

उक्त के अतिरिक्त अपराध निरोधक क्षेत्र की सबसे अधिक राजस्व वाली विदेशी मदिरा दुकान को भी अनुज्ञापी के आवेदन पर उक्त शर्तो के अधीन उक्त सुविधा प्रदान की जा सकेगी है।

11. **मदिरा के अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बंध में :–**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण पूर्व अनुज्ञापी द्वारा नये अनुज्ञापी को पूर्व वर्ष की एफ0एल0–2/सी0एल0–2 दरों पर किया जायेगा। नया अनुज्ञापी इस मदिरा की बिक्री एक माह के भीतर गत वर्ष की एम0आर0पी0 पर सुनिश्चित करेगा। ऐसे स्टाक को दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) के विपरीत समायोजित नहीं किया जायेगा किन्तु यदि यह स्टॉक किसी कारणवश एक माह के उपरान्त भी अविक्रित बच जाता है, तो इस स्टाक पर चलित वर्ष की दरों पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) एवं निर्धारण फीस (एसेस्मेंट फीस) देय होगी।

12. **गढ़वाल मंडल के पॉंच जनपदों में विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन :–**

गढ़वाल मंडल के पॉंच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/ चमोली) में विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन गतवर्ष की भॉंति किया जायेगा।

13. **जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–**

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) शासनादेश संख्या:311/XXIII/2008 /18/2008 दिनांक 16.06.2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

14. **किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना :–**

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है;

परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व सहमति से निर्णय ले सकेंगे;

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

15. **पात्रता :–**

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्ते अग्रलिखित शर्तो के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी;

परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/ हस्तान्तरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा, ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे। आवेदक का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान हेतु

आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम दुकान लॉटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्ते पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझीदार को सम्मिलित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

16. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :–

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नही होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर रू0 72.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 17/– प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Strong Beer) एवं वाईन पर रू0 33/– प्रति बल्क लीटर रहेगी।

17. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना:–

(एक) देशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 130/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :–

क0सं0	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0(प्रति बोतल)
(1)	रू0 25.00 तक	रू0 103.00
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	रू0 113.00
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	रू0 130.00
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	रू0 148.00
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	रू0 191.00
(6)	रू0150.01 से रू0 300.00 तक	रू0 208.00
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	रू0 260.00
(8)	रू0 450.01 से अधिक	रू0 348.00

(तीन) अद्वा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 25/– तथा रू0 50/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्वा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी।

18. सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क,ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें :–

(एक) वर्ष 2012–13 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 10,000/– लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) रू0 72.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम ______________ रू0 55.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर एवं वाइन एफ0एल0–9 के अन्तर्गत एफ0एल0–5 के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–

क0सं0	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	रू0 53.00
(2)	रियायती रम	रू0 35.00
(3)	बियर/वाइन	एफ0एल0–5के समान दर।

19. आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ब्राण्डी/बियर आदि) की सुविधा:–

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सख्यां 989/XXIII/2011/43/VIP/2002 दिनांक 07.12.2012 के उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट को छोडकर विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी (संशोधन) नियमावली–2011 के अन्तर्गत को अनुज्ञापन दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

20. मदिरा का विक्रय मूल्य :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

1. उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, के केवल वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो।

उनके ब्राण्ड की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवा समान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई0डी0पी0 वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई0डी0पी0 बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में दो बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा।

उपरोक्त के होते हुये भी अद्वा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में कमशः रू0 25/– तथा रू0 50/– अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेंगे। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर रू0 1,00,000 लाख (एक लाख रूपये मात्र) पेनाल्टी आरोपित किये जाने के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

21. **देशी मदिरा/विदेशी मदिरा का आयात :–**

देशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी। प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता को प्रदेश में विदेशी मदिरा के सभी स्काच, प्रीमियम, एवं रेगुलर ब्राण्डस के साथ–साथ चीप ब्राण्ड की बोतलों को आयात करने, की अनुमति दी जायेगी।

22. **विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू) अनुज्ञापन :–**

(1) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(2) निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्रान्डी, जिन, बियर, वॉईन वोडका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बाटलड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (legal rights) प्राप्त हैं, इन्हें ऐसे ब्राण्डस के निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

(3) वर्ष 2012–13 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 4.00 लाख, एफ0एल0–2बी के लिए रू0 2.00 लाख एवं एफ0एल0–2 (एस)/एफ0एल0–2(डब्लू) के लिये रू0 1.00 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि 12500 (बारह हजार पांच सौ) पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रू0 50,000/– व 2500 (दो हजार पांच सौ) पेटी तक की बिक्री के लिए रू0 25,000/– देय होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू की लाईसेंस फीस प्रति पेटी निम्नांनुसार वसूल की जायेगी:–

"राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0 2/2बी/2(एस)/2डब्लू हेतु लाईसेंस फीस विदेशी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।"

23. जिलों में खोले गये एफ0एल0–2 को न चलाया जाना:–

यदि किसी लाईसेंसी द्वारा किसी जिले में खोले गये एफ0एल0–2 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में नही चलाया जाना है, तो उसे वित्तीय वर्ष 2012–13 में तीन माह के भीतर उस एफ0एल0–2 गोदाम में रखी गई मदिरा की नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करनी होगी, अथवा आबकारी आयुक्त की अनुमति से अपने अन्य एफ0एल0–2 या एफ0एल0–1 या बॉण्ड अनुज्ञापन को स्थानान्तरित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसकी एफ0एल0–2 की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा गोदाम में रखे स्टॉक का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

24. विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नांनुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस (रूपयों में)
(1)	रू0 25.00 तक	103/–
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	149/–
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	162/–
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	180/–
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	194/–
(6)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	206/–
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	232/–

(8)	रू0 450 से ऊपर	257/–
(9)	**बियर** (एक) बियर 650एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल की 24 पैक की पेटी एवं वाईन (750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी)।	79/–
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	119/–
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	79/–
(10)	वाईन 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	79/–
(11)	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल बेवरेज के 275एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	79/–

उपरोक्त तालिका में जहां अन्य उल्लेख न हो, पेटी से आशय 750एम0एल0 की 12 बोतलों अथवा 375एम0एल0 के 24 अद्धों अथवा 180एम0एल0 के 48 पौव्वों से होगा।

(दो) अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 25/– तथा रू0 50/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौव्वा पर निर्धारित असेसमेंट शुल्क की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी।

(तीन) जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेसमेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

25. राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री:–

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता उत्तराखण्ड राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार होगी:–

(1)	**बी0डब्लू0एफ0एल0–2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)**	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये
	(1) 25,000 पेटियों तक	रू0 3.00 लाख
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	रू0 6.00 लाख
	(3) 50,001से 1,00,000पेटियों तक	रू0 9.00 लाख
	(4) 1,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 12.50 लाख

(2)	**(क)**बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए। (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001से1,00,000 पेटियों तक (3) 1,00,000 पेटियों से अधिक **(ख)** बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी **(आई)** केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए 1) 1000 पेटियों की बिक्री तक (2) 1000 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 3.00 लाख रू0 4.50 लाख रू0 6.00 लाख 15.00 हजार रू0 1,500/– प्रत्येक 100 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
(3)	बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये 15,000/–(पन्द्रह हजार मात्र) 7,500/– प्रत्येक 50 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
(4)	बी0डब्लू0एफ0एल–2डब्लू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 12,000/– (बारह हजार मात्र)
(5)	एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 12,500 पेटियों तक (2) 12,501 से 25,000 पेटियों तक (3) 25,000 पेटियों से अधिक पर	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 60,000/–(साठ हजार मात्र) रू01.20 लाख रू0 3.00 लाख

प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/ब्रीजर के निर्माताओं को बी0डब्लू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिटस (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने पर प्रति यूनिटस (कम्पनियों) से मदिरा आयात किये जाने हेतु

अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में रू0 1,00,000/– जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिटस (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

26. लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(एक) विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति बोतल प्रति वर्ष रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) लेबिल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/वाईन/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबिलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबिल प्रति वर्ष रू0 5,000/– (पांच हजार मात्र) लेबिल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होंगी।

27. होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०–6/एफ0एल0–6(सम्मिश्र) की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

क	एफ0एल0–6/एफ०एल०–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर	धनराशि
(1)	20 कमरों तक	2.00लाख रूपये
(2)	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	4.00लाख रूपये
(3)	60 कमरों से अधिक	6.00लाख रूपये

28.रेस्त्रांबार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस (रूपये में)
(1)	**रेस्टोरेन्ट बार**	2.00लाख
(2)	**बियर बार** (1) रेगुलर बियर बार (2) सीजनल बियर बार	 30,000 (रू0 तीस हजार) 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार)
(3)	**क्लब बार** (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	 1.20 लाख 1.80 लाख 2.40 लाख
(4)	**अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)**	रू0 2,000/–(रू0दो हजार)

गैर–होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु इन्हें सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी

रजिस्ट्रेशन फीस रू० 25,000/– (पच्चीस हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राफ्ट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत् दी जा सकेगी। **इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500एम0एल0 केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।**

29. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी :–

एफ0एल0–2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर ड्यूटी की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नांनुसार होगी:–

क0सं0	एक्स आसवनी मूल्य	ड्यूटी की दर (प्रति बोतल)
(1)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 165/–
(2)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 198/–
(3)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 232/–
(4)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 264/–
(5)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 330/–
(6)	रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 462/–
(7)	बियर एवं वाइन की बोतलों पर	शून्य
(8)	बियर 500एम0एल0,330एम0एल0 एवं 325एम0एल0 के पैक, ओवरसीज लिकर के 60एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक (केवल 20 कमरों से अधिक होटल बारों हेतु।)	रू010/– प्रति पैक (Pack)।

निकटतम् सम्बद्व एफ0एल0–5डी दुकानों से निम्नवत् श्रेणियों की मदिरा भी नियमानुसार परमिट फीस के आधार पर अनुमन्य होगी:–

(1)	बियर 325, 330 एवं 500 एम0एल0 पैक, कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के 275एम0एल0 के पैक	रू01/– प्रति पैक (Pack)।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाऐं एवं शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

30. होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अहर्ता :–

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

होटलों के लिए प्रथम वर्ष में उक्त शर्त में छूट होगी।

किसी भी होटल/रेस्त्रां बार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुये भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नही किया जायेगा।

31. गढवाल मण्डल के पांच जनपदों में बारों का संचालन :-

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली) में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैय्या) वाले होटल/ रिसोर्टस, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

32. बियर एवं वाईन बार लाईसेंस :-

उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर **बियर एवं वाईन बार** लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे एवं सीजनल **बीयर एवं वाईन बार** हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

33. आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :-

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी:-

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेशी मदिरा के ब्राण्डस् की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

34. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0-3ए एवं एफ0एल0एम0-3 हेतु बॉटलिंग फीस :-

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0-3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0-3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 3.80, रू0 1.90 तथा रू0 0.95 बाटलिंग फीस देय होगी। अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी।

35. **ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है :–**

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक रू0 10,000.00

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 20,000.00

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 2.00 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

36. **एफ0एल0एम0–3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नांनुसार होगीं :–**

क0सं0	**विनिर्माणशाला की भराई क्षमता**	**लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)**
(1)	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रूपये 4,25,000/–(चार लाख पच्चीस हजार मात्र)
(2)	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रूपये 8,38,000/–(आठ लाख अडतीस हजार मात्र)
(3)	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	रूपये 12,50,000/–(बारह लाख पचास हजार मात्र)
(4)	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक।	रूपये 24,49,000/–(चौबीस लाख उनन्चस हजार मात्र)
(5)	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 37,52,000/–(सैतीस लाख बावन हजार मात्र)
(6)	पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रूपये 56,76,000/–(छप्पन लाख छियत्तर हजार मात्र)
(7)	पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	रूपये 74,69,000/–(चौहत्तर लाख उन्हत्तर हजार मात्र)
(8)	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 93,34,000/–(तिरानवे लाख चौतीस हजार मात्र)
(9)	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रूपयें 1,11,98,000/– (एक करोड ग्यारह लाख अठानवे हजार मात्र)

37. विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस :–

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रूपये 1,18,000/– (रू0 एक लाख अटठारह हजार मात्र) के अधीन बॉटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी:–

क्र0 सं0	बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
(1)	1,000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू० प्रति बोतल
(2)	750 मि0ली0 बोतल	2.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू० प्रति बोतल
(3)	500 मि0ली0 पैक	प्रतिबन्धित	0.95 रू० प्रति पैक
(4)	375 मि0ली0 अद्धा	1.40 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू० प्रति अद्धा
(5)	180 मि0ली0 पौव्वा	0.90 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू० प्रति पौव्वा
(6)	90 मि0ली0 पैक	0.42 रू0 प्रति पैक	0.29 रू० प्रति पैक

38. एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत देय बाटलिंग फीस:–

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बाटलिंग व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत एफ0एल0–3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,00,000/– (रू० एक लाख) के अधीन विदेशी मदिरा पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:–

क्र0 सं0	बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
(1)	1000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
(2)	750 मी0ली0 बोतल	3.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
(3)	500 मी0ली0 पैक	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति बोतल
(4)	375 मी0ली0 अद्धा	1.90 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
(5)	180 मी0ली0 पौव्वा	0.95 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
(6)	90 मि0ली0 पैक	0.47 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

39. एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत बियर /ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीस:–

एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,18,000/–(रू० एक लाख अटठरह हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग फीस निम्नांनुसार देय होगी:–

क्र0स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
(1)	650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल

(2)	500 एम0एल0 के पैक पर	रू0 0.47 प्रति पैक	रू0 0.47 प्रति पैक	रू0 0.20 प्रति पैक
(3)	325/330 एम0एल0 के पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.15 प्रति पैक
(4)	275 एम0एल0 के पैक	रू0 0.31 प्रति पैक	रू0 0.31 प्रति पैक	रू0 0.13 प्रति पैक

40. बियर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नांनुसार देय होगी :–

क्र0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
(1)	650 एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.24 प्रति बोतल
(2)	500 एम0एल0 के पैक पर	रू0 0.38 प्रति पैक	रू0 0.38 प्रति पैक	रू0 0.19 प्रति पैक
(3)	325/330 एम0एल0 के पैक पर	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.14 प्रति पैक
(4)	275 एम0एल0 के पैक पर	रू0 0.25 प्रति पैक	रू0 0.25 प्रति पैक	रू0 0.12 प्रति पैक

41. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल का लगाया जाना:–

देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

42. राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था :–

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन अर्न्तगत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (Bonded Warehouse) प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे। प्रदेश की तीनों आसवनियों की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर 1/3 सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 59.00 लाख लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 1,18,000/–(एक लाख अटठरह हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी0डी0–2 लाईसेंस की लाईसेंस फीस रू0 70.00/प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

43. शीरा, अल्कोहल व मदिरा के नमूनों का परीक्षण:–

प्रदेश की चीनों मिलों, आसवनियों, फार्मेसियों व मदिरा गोदामों/दुकानों से प्राप्त शीरे, अल्कोहल, पेय मदिरा व अल्कोहलयुक्त औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से नमूनों का विश्लेषण

प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं से कराये जाने हेतु प्रयोगशालाऐं अधिसूचित की जायेंगी।

44. मदिरा तस्करी/अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण :–

राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

45. कम तीव्रता की एल्कोहल बेवरेज पर निर्यात शुल्कः–

कम तीव्रता की अल्कोहल बेवरेज पर रू0 0.05 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क देय होगा।

46. आयात शुल्क की दरें :–

ई0एन0ए0, रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट एल्कोहल पर रू0 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर आयात शुल्क देय होगा। बियर पर रू0 4.00 प्रति बोतल लिया जायेगा अर्थात रू0 48/– प्रति पेटी आयात शुल्क देय होगा।

47. आबकारी आयुक्त के नाम बैंक खाताः–

राज्य के विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञापियों को विभिन्न ड्यूटीज व शुल्कों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करने तथा ऑफ लाइन जमा कराई गई ड्यूटीज एवं शुल्कों का ऑनलाइन सत्यापन करने हेतु आबकारी आयुक्त के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम एक खाता खोला जायेगा। बैंक को इस खाते में जमा धनराशि को प्रत्येक दिवस के अन्त में राज्य के खाते में स्थानान्तरित करने के स्थाई निर्देश दिये जायेंगे।

48. भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

49. एफ0एल016,17 की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रूपये 500/–निर्धारित की जाती है।

50. अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या /XXIII/2012/01(36)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड,

देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव